तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय



(संसद द्वारा पारित अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU

(Established by an Act of Parliament, 2009) नीलक्कुड़ी परिसर/Neelakudi Campus, कंगलान्चेरी/Kangalancherry, तिरुवारूर/Thiruvarur - 610 005 तमिलनाडु, भारत/Tamil Nadu, India

तकेंवि/हिं.अ-41/2018

दिनांक - 06 Februry 2018

परिपत्र/CIRCULAR

भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि, इस धारा के अंतर्गत आने वाले - संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, निविदा, परिपत्र एवं अन्य स्थायी किस्म के दस्तावेज; सभी कागजात द्विभाषी रूप में निर्मित/जारी किये जाएं।

In order to ensure the compliance of Section 3 (3) of the Official Language Act of 1963, it is obligatory that the documents under this section - Resolution, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and other Reports, Press Releases, Notices, Tender, Circulars and other permanent types of documents, etc. should be issued in bilingual form only.

अतः सभी विभागों / अनुभागों के नियंत्रण अधिकारी /उक्त कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह सूचित किया जाता है कि, अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करे लें कि, उक्त संबंधित दस्तावेज द्विभाषी रूप में निर्मित/जारी किये जा रहे हैं।

In this regard, it is hereby informed to all the Department's/section's controlling officers / Signatories of the said documents to ensure at their level that the said documents are being issued in bilingual form only.

इस संबंध में किसी भी अपेक्षित सहयोग हेतु हिंदी अधिकारी से संपर्क कर राजभाषा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। Hind Officer may be contacted for assistance on this matter so as to enable us to comply the Official Language Implementation Act.

कुलसचिव/Registrar

प्रति / To-

- 1. कुलपति के निजी सचिव /PA TO VC
- 2. कुल सचिव के निजी सचिव / PA TO REGISTRAR
- 3. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक / FO/COE
- 4. संयुक्त/सहायक कुल सचिव / JOINT/ASSISTANT REGISTRARS
- 5. सभी विभागों के प्रमुख (शैक्षिक/गैर-शैक्षिक) /ALL DEPARTMENT HEADS(TEACHING/NON TEACHING)
- 6. अधिकारी / OFFICERS
- 7. सू.प्रौ विभाग (ई-परिपत्र हेतु)/IT DEPARTMENT (FOR E CIRCULAR)
- 8. सूचनापट्ट NOTICE BOARDS